अनुसूची–14 फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता0.....से.....तक

जिला.....सं0.....सन् 20.....

केस का प्रकार .....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
29/3/17	**न्यायालय, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।** **दाखिल खारीज अपील सं0 XV/11/2013-14** बद्री शुक्ला ... ... **अपीलार्थी** – ब ना म् – रामकृष्णा शुक्ला एवं अन्य... ... **विपक्षी** **–: आ दे श :–** यह दाखिल खारीज अपीलवाद विद्वान अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा दाखिल खारीज वाद सं0 1419/2009–10 में दिनांक 08.03.2010 को ग्राम टिकुलिया, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू के खाता 24, प्लौट 10 एवं 427, रकबा क्रमशः 0.16 एकड़ एवं 0.09 एकड़, कुल रकबा 0.25 एकड़ भूमि की विपक्षी के नाम से पारित दाखिल खारीज आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को निबंधित डाक से सूचना निर्गत की गयी। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। विपक्षी सं0 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर समय की याचना की। विपक्षी सं0 1 का नोटीस डाकघर से यह लिखकर कि	1558

प्राप्तकर्ता घर से बाहर है, वापस आ गया। अपीलार्थी के आवेदन एवं खर्च पर विपक्षी सं0 1 रामकृष्ण शुक्ला को दिनांक 17.07.2016 के हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में नोटीस प्रकाशित कराया गया, जिसकी कटींग की प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र में नोटीस प्रकाशित कराने के बाद भी विपक्षी सं0 1 न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और न कोई जवाब ही दिया। इसी बीच एक नवल किशोर सिन्हा एवं कान्ती सिन्हा की ओर से इस वाद में वकालतन पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दिया गया। अपने आवेदन में नवल किशोर सिन्हा एवं कान्ती सिन्हा ने उल्लेख किया है कि उन्होंने रामकृष्ण शुक्ला विपक्षी सं0 1 से दिनांक 13.12.2012 को क्रमशः रकबा 0.11½ एकड़ एवं 0.11½ एकड़ भूमि दो निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय कर लिया और दखल कब्जा में है।

कई अवसर देने के बाद भी विपक्षी द्वारा न तो कोई जवाब दाखिल किया गया और न अपना पक्ष ही रखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील अर्जी में किया गया दावा का सारांश यह है कि प्रश्नगत् भूमि अपीलार्थी की निबंधित केवाला सं0 919, दिनांक 25.01.75 एवं 10785, दिनांक 10.10.75 के द्वारा खरीदी हुई भूमि है, जिस पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है तथा जमाबंदी कायम होकर मालगुजारी रसीद निर्गत हो रही है। विपक्षी के विक्रेता का प्रश्नगत् भूमि पर कोई स्वत्व, अधिकार नहीं है, इसलिए विपक्षी के विक्रेता द्वारा निष्पादित केवाला फर्जी है। विपक्षी के विक्रेता ने अपने हिस्से से अधिक भूमि विक्री कर दिया है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी ने गांव में बिना इश्तेहार कराये एवं बिना स्वयं प्रश्नगत् भूमि की स्थलीय जांच किए ही एक दिन में दाखिल खारीज का आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी

का दावा है कि विपक्षी के विक्रेता ने टाईटील सूट नं0 14/97 एवं टाईटील अपील सं0 13/2004 लंबित रहने के दौरान केवाला निष्पादित किया है, जिसकी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर द्वारा उपर्युक्त विन्दुओं पर बिना विचार किए ही आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने के योग्य है।

अपीलार्थी ने दाखिल खारीज वाद सं0 1419/09–10 में पारित आदेश, हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि, दाखिल खारीज वाद सं0 1459/14–15 में श्रीमती कान्ती सिन्हा एवं श्री नवल किशोर सिन्हा के विरूद्ध पारित दाखिल खारीज आदेश की छायाप्रति दाखिल किया है। दाखिल खारीज वाद सं0 1419/09–10 में हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी करमू शुक्ला वगै0 एवं रामरति देवी वगै0 के नाम से चल रही है। जमाबंदी रैयतों से विक्रेता का क्या संबंध है को स्पष्ट करने के लिए जमाबंदी रैयतों की वंशावली नहीं दी गयी है और न अन्य रैयतों को कोई सूचना ही दी गयी है। हल्का कर्मचारी ने किस तिथि को प्रश्नगत् भूमि की जांच किनके समक्ष की है, प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं किया है। दाखिल खारीज के लिए महत्वपूर्ण विन्दु विक्रेता की जमाबंदी एवं दखल कब्जा ही है, किन्तु अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के अस्पष्ट एवं अधूरा जांच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारीज का आदेश पारित किया है। दाखिल खारीज वाद सं0 1459/14–15 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री नवल किशोर सिन्हा एवं श्रीमती कान्ती सिन्हा ने विपक्षी सं0 1 रामकृष्ण शुक्ला से प्रश्नगत् भूमि क्रय की है।

उक्त दाखिल खारीज वाद में बद्री शुक्ला (इस अपीलवाद के अपीलार्थी) द्वारा दिए गये आपत्ति के आलोक में सुनवाई के पश्चात् अंचल अधिकारी द्वारा यह उल्लेखित करते हुए श्री नवल किशोर सिन्हा एवं श्रीमती कान्ती सिन्हा का दाखिल खारीज का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है कि प्रश्नगत् भूमि के हक हकियत को लेकर विवाद है, जिसके निष्पादन हेतु सिविल कोर्ट में बंटवारा वाद लंबित है। सिविल सूट लंबित रहने के दौरान एक पक्षकार द्वारा भूमि की विक्री किया जाना नियमसंगत नहीं है। प्रश्नगत् भूमि के दखल कब्जा को लेकर भी विवाद है। वस्तुतः यह मामला बंटवारा एवं हक हकियत से ही संबंधित है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल उपर्युक्त कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा प्रश्नगत् भूमि का पारित दाखिल खारीज आदेश विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में दाखिल खारीज वाद सं0 1419/09–10 में दिनांक 08.03.10 का पारित आदेश निरस्त किया जाता है। श्री नवल किशोर सिन्हा एवं श्रीमती कान्ती सिन्हा द्वारा पक्षकार बनाने का आवेदन भी अस्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

29.03.17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
सदर मेदिनीनगर।

29.03.17

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
सदर मेदिनीनगर।